

प्रेस नोट दिनांक 23-08-2020

जनपद फिरोजाबाद ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में थाना उत्तर/नारखी पुलिस टीम द्वारा 20000रुपये के अन्तर्राज्यीय इनामी अपराधी गणेश शर्मा उर्फ किशन शर्मा को पुलिस मुठभेड में अवैध असलाह सहित किया गिरफ्तार ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन व पुलिस अधीक्षक नगर फिरोजाबाद एवं क्षेत्राधिकारी नगर फिरोजाबाद के सफल पर्यवेक्षण में वांछित एवं पुरूष्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दि0- 22.08.2020 को थाना नारखी के मु0अ0सं0 57/19 धारा 302/395/412/34 भादवि एवं मु0अ0सं0 88/19 धारा 41/102 सीआरपीसी व 411 भादवि के अभियोग में वांछित एवं 20,000 रू0 के इनामिया अभियुक्त गणेश शर्मा पुत्र रामकिशन शर्मा उर्फ किशन शर्मा नि0- ग्राम भरनाखुर्द थाना बरसाना जनपद मथुरा अपने एक साथी के साथ बाईपास रोड़ पर किसी घटना करने की फिराक में आने वाला है । इस सूचना पर विश्वास कर थानाध्यक्ष उत्तर श्री हरवेन्द्र कुमार मिश्रा, वरिष्ठ उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा व हमराहीयान के साथ ककरऊ कोठी चौराहे पर बैरियर डालकर चैकिंग करने लगे । थोड़ी देर बाद बेंदी की पुलिया की तरफ से बुलेट मो0सा0 पर दो व्यक्ति आते दिखायी दिये जो सामने पुलिस पार्टी को देखकर मो0सा0 मोड़कर वापस भागे जिनका पीछा पुलिस पार्टी द्वारा किया गया व वायरलैस सैट से नारखी पुलिस को सूचित कर नये बाईपास पुल से थानाध्यक्ष नारखी व उनकी टीम द्वारा घेराबन्दी करायी गयी । दोनों तरफ से पुलिस से घिरा पाकर दोनों बदमाश मो0सा0 छोड़कर पुलिस पर फायरिंग करते हुए खेतों में भागे तो पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ चलायी गयी गोली से 20000 का इनामी बदमाश गणेश शर्मा उपरोक्त घायल होकर गिर पड़ा व उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा । अभियुक्त गणेश शर्मा के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर एक कारतूस जिन्दा 315 बोर व एक खोखा कारतूस 315 बोर तथा एक बुलट मो0सा0 रंग सिल्वर बिना नंबर की बरामद हुई । अभियुक्त को इलाज हेतु ट्रामा सेन्टर/जिला अस्पताल फिरोजाबाद में भर्ती कराया गया ।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि उसके द्वारा वर्ष 2019 में अपने साथियों रामखिलाड़ी उर्फ अंकल राज, मोनू यादव उर्फ छिंगा, छोटू उर्फ सतेन्द्र यादव, प्रवीण यादव, दीपा ठाकुर उर्फ गणेश, दीपा उर्फ दिलीप यादव व अल्लू उर्फ शिववीर उर्फ कल्लू के साथ मिलकर नारखी क्षेत्र में एक किसान की गला घोटकर हत्या कर ट्रक्टर लूटा था, जिसमें वह अभी तक फरार था । अन्य सभी अभियुक्त जेल में हैं ।

अभियुक्त का नाम पता—

गणेश शर्मा पुत्र रामकिशन शर्मा उर्फ किशन शर्मा नि0- ग्राम भरनाखुर्द थाना बरसाना जनपद मथुरा ।

अभियुक्त से बरामदगी का विवरण —

1- 01 देशी तमंचा एक जिन्दा कारतूस व एक खोखा कारतूस 315 बोर

2- एक चोरी की बुलेट मो०सा० बिना नम्बर **Engine N0 U3S5C0DA209677, Chassis No. ME3U3S5C0DA209677**

अभियुक्त गणेश शर्मा का आपराधिक इतिहास –

1. मु०अ०सं० 57/19 धारा 302/395412/34 भादवि थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद ।
2. मु०अ०सं० 88/19 धारा 41/102 सीआरपीसी व 411/414 भादवि थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद ।
3. मु०अ०सं० 29/20 धारा 174ए भादवि थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद ।
4. मु०अ०सं० 369/20 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड़) थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद ।
5. मु०अ०सं० 370/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद ।
6. मु०अ०सं० 371/20 धारा 41/102 सीआरपीसी व 411/414 भादवि थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद ।
7. मु०अ०सं० 282/19 धारा 379/411 भादवि थाना नूह हरियाणा ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री हरवेन्द्र कुमार मिश्र थाना उत्तर फिरोजाबाद
2. थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार थाना नारखी फिरोजाबाद
3. व०उ०नि० श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा थाना उत्तर फिरोजाबाद
4. उ०नि० श्री गौरीशंकर पटेल थाना नारखी फिरोजाबाद
5. कां० 665 पंकज शर्मा थाना उत्तर फिरोजाबाद
6. कां० 438 विनीत कुमार थाना उत्तर फिरोजाबाद
7. कां० 411 रिकू कुमार थाना नारखी फिरोजाबाद
8. कां० 210 श्यामवीर सिंह थाना नारखी फिरोजाबाद